तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहका... हुक्म ... में ...
27-6-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-7-19 को पेश हो। रीडर	
15-7-19	वकील उभयपक्ष उप०। प्रार्थीगण का T. I. प्रार्थना प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है एवं अप्रार्थीगण की काउन्टर T. I. स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण को तायफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख० नं० $\frac{107}{0.98}$, $\frac{109}{0.81}$, $\frac{394}{0.43}$, $\frac{1008}{0.53}$, $\frac{1027}{0.05}$, $\frac{1028}{0.38}$, $\frac{1029}{0.44}$, $\frac{1033}{0.77}$, $\frac{1035}{0.72}$, $\frac{1036}{0.22}$, $\frac{1041}{0.36}$, $\frac{1057}{0.19}$, $\frac{1059}{0.66}$, $\frac{1008/1519}{0.26}$ ग्राम बिदरखा के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

[illegible] न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर [illegible]/2018 | तारीख रजू 29.6.2018 | तारीख निर्णय 15-7-2019

1. [illegible] पुत्र बुद्धा, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. [illegible] पुत्र बुद्धा, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
3. [illegible] पुत्र बुद्धा, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. [illegible] पुत्र मूल्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. [illegible] पुत्र मूल्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
3. [illegible] पुत्र मूल्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
4. [illegible] पुत्र मूल्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
5. [illegible] जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. [illegible] तहसीलदार गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री तरूण शर्मा , एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 ता 4 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि साबिक ख0नं0 41 रकबा 9 बीघा 3 विस्वा , ख0नं0 43 रकबा 3 बीघा [illegible] विस्वा, ख0नं0 231 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा, ख0नं0 235 रकबा 31 बीघा [illegible] विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 49 बीघा 8 विस्वा ग्राम विदरखा [illegible] बुद्धा पुत्रान भौरया जाति माली की खातेदारी व कब्जे काश्त की [illegible] रही है जिसमें दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा रहा है एवं इसी अनुसार दोनों भूमि को काश्त कर उपयोग उपभोग में लेते रहे हैं। हाल भू–प्रबन्ध में उपरोक्त वर्णित भूमि के नवीन ख0नं0 106 रकबा 81 एयर, ख0नं0 108 रकबा [illegible] एयर, ख0नं0 1007 रकबा 37 एयर, ख0नं0 1026 रकबा 34 एयर, [illegible] 1034 रकबा 81 एयर, ख0नं0 1037 रकबा 90 एयर, ख0नं0 1038 रकबा [illegible] एयर, ख0नं0 1039 रकबा 29 एयर, ख0नं0 1053 रकबा 37 एयर, [illegible] 1058 रकबा 1.03 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.76 है0 तथा [illegible] 107 रकबा 98 एयर, ख0नं0 109 रकबा 81 एयर, ख0नं0 294 रकबा [illegible] एयर, ख0नं0 1008 रकबा 53 एयर, ख0नं0 1027 रकबा 5 एयर किस्म [illegible], ख0नं0 1028 रकबा 38 एयर, ख0नं0 1029 रकबा 44 एयर, ख0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

नं0 1033 रकबा 77 एयर, ख0नं0 1035 रकबा 72 एयर, ख0नं0 1036 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1041 रकबा 36 एयर, ख0नं0 1057 रकबा 19 एयर, ख0नं0 1059 रकबा 66 एयर कुल किता 13 कुल रकबा 6.54 है0 ग्राम विदरखा आवंटन किए गए हैं जिन्हें क्रमशः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता बुद्धा व मूल्या के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया है व ख0नं0 1008/1519 रकबा 25 एयर बुद्धा व मूल्या के नाम शामलाती में दर्ज कर दिया है। अप्रार्थीगण के पिता घर के बडे थे। उन्होने राजस्व कर्मचारियों से साज कर भूमि का गलत रूप से बिना सहमति विभाजन करवा कर 3 बीघा भूमि अपने हिस्से में अधिक लगवा ली जबकि भूमि मौके पर अभी अविभाजित है एवं पक्षकारान भूमि को शामलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण को भूमि विभाजन की पूर्व में जानकारी नहीं रही है, लोन आदि के लिए भूमि की जमाबंदी की नकल लेने पर इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुई है। अप्रार्थीगण के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर 3 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भूमि शामलाती है तथा पैत्रक रही है। राजस्व रिकार्ड में भूमि अप्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज होने के कारण वे भूमि को खुर्दबुर्द करने की फिराक में है जबकि भूमि अविभाजित है जिस पर पक्षकारान का समान रूप से कब्जा है। इस कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा किए गए इन्द्राज को निरस्त कर भूमि पुनः सरस नरस से विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जो अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आवेंगे जब तक उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करवा दिया जावेगा। अतः प्रार्थना पत्रप्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा ख0नं0 107 रकबा 98 एयर, ख0नं0 109 रकबा 81 एयर, ख0नं0 294 रकबा 40 एयर, ख0नं0 1008 रकबा 53 एयर, ख0नं0 1027 रकबा 5 एयर गैरमुमकिन, ख0नं0 1028 रकबा 38 एयर, ख0नं0 1029 रकबा 44 एयर, ख0 नं0 1033 रकबा 77 एयर, ख0नं0 1035 रकबा 72 एयर, ख0नं0 1036 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1041 रकबा 36 एयर, ख0नं0 1057 रकबा 19 एयर, ख0नं0 1059 रकबा 66 एयर कुल किता 13 रकबा 6.54 है0 व ख0नं0 1008/1519 रकबा 25 एयर ग्राम विदरखा में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें। मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 5, 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया । जबाब में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य वर्ष 1980 से पूर्व ही मौके पर विभाजन हो गया था। साबिक ख0नं0 85 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा चरागाह में से 2 बीघा भूमि जरिए बदलपत्र मिसल नं0 14/78 के मुताबिक ख0नं0 231 में से 2 बीघा भूमि मूल्या के हिस्से में से कम कर चरागाह दर्ज कर दी गई तथा चरागाह भूमि ख0नं0 85 में से 2 बीघा भूमि मूल्या के नाम दर्ज कर दी गई जिसका वर्तमान भू–प्रबन्ध में नम्बर 294 रकबा 47 एयर कायम किया है जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। इस नम्बर से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि के बन्दोवस्त सं0 [illegible] लगायत 2022 में ख0नं0 626 रकबा 17 बिस्वा थे जिसके एकीकरण में [illegible] भूमि ख0नं0 625 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एवं ख0नं0 626 रकबा 17 बिस्वा को मिलाकर एकीकरण ख0नं0 238 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कायम किया है जिसके वर्तमान भू–प्रबन्ध में नवीन ख0नं0 1063/1521 रकबा 52 एयर कायम किए गए हैं। एकीकरण ख0नं0 230 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है लेकिन एकीकरण वालों ने उसे गलत रूप से चरागाह दर्ज कर दिया। ख0नं0 238 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का 21 एयर रकबा शामिल है जिस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है तथा ख0नं0 1063/1251 रकबा 32 एयर को भू–प्रबन्ध वालों ने सिवायचक दर्ज कर दिया है परन्तु प्रार्थीगण ने जानबूझकर ख0नं0 1063/1521 के सम्बन्ध में इन्द्राज दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत नहीं किया है तथा कब्जे के आधार पर वे उसे आवंटित करवाना चाहते हैं एवं उसकी एवज में अप्रार्थीगण से गलत रूप से भूमि लेना चाहते हैं। भूमि ख0नं0 1008/1519 साबिक ख0नं0 231 का हिस्सा है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने नाम 3 बीघा भूमि अधिक नहीं लगवाई गई है बल्कि अपने हिस्से की भूमि में से ही भूमि सरेन्डर कर भूमि ख0नं0 294 को अपने नाम दर्ज करवाई है जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है परन्तु अब प्रार्थीगण की नियत खराब हो गई है तथा उन्होने गलत रूप से दावा प्रस्तुत किया है। सन् 1980 के आदेश के विरूद्ध आम जनता द्वारा अपील भी प्रस्तुत की गई थी जो खारिज कर दी गई तथा राज्य सरकार के आदेश को यथावत माना गया। प्रार्थीगण को सन् 1980 से ही ख0नं0 294 के सम्बन्ध में जानकारी थी परन्तु 38 वर्ष का समय निकल जाने के बाद भी ख0नं0 294

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

के सम्बन्ध में प्रार्थीगण एवं उनके पिता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं अब गलत तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। अप्रार्थीगण का स्वयं का रकबा कम है क्योंकि अप्रार्थीगण के पिता मुख्या को साबिक ख0नं0 42 में से 16 विस्वा भूमि आवंटित की गई थी लेकिन भू-प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 41 व 42 के रकबे को शामिल करते हुए वर्तमान ख0नं0 107 रकबा 98 एयर व 108 रकबा 70 एयर कायम किए गए हैं। उक्त दोनों नम्बरो में अप्रार्थीगण की 21 एयर भूमि शामिल कर दी गई है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के खाते में 22 एयर भूमि कम दर्ज होकर आई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य 38 वर्ष पहले ही विभाजन हो गया है। अप्रार्थीगण ने काफी राशि खर्च कर भूमि को काबिज काश्त बनाया है परन्तु अब प्रार्थीगण की नियत खराब हो गई है एवं 38 साल बाद उन्होने गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण को कोई अपूर्तनीय क्षति नहीं होकर अप्रार्थीगण को है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण की ओर से काउन्टर टी0आई0 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वे अप्रार्थीगण की भूमि हाल ख0नं0 [illegible], 1027, 1028, 1029, 1033, 1035, 1036, 1041, 1057, 1059, 107, [illegible], 394, 1008/1518 ग्राम विदरखा में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076, फोटोकोपी नकल खतौनी एकीकरण सं0 [illegible], फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस साबिक व हाल, फोटोकोपी नकल पत्र क्रमांक 2465 दिनांक 1.11.2001 तहसीलदार गंगापुर सिटी, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2012 से 2015, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2030 से 2033पेश की है।

जबाब एवं काउन्टर टी0आई0 के समर्थन में अप्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2039, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2026 से 2029, फोटोकोपी नकल जमाबंदी खतौनी सं0 2017, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2030 से 2033, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल एकीकरण, फोटोकोपी नकल खतौनी सं0 2003 से [illegible], फोटोकोपी नकल साबिक व हाल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल आदेश तहसीलदार गंगापुर दिनांक 15.9.78, फोटोकोपी नकल खसरा परिवर्तनशील

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

[illegible], सं0 2031, सं0 2034, फोटोकोपी नकल निर्णय दिनांक 24.3.81 न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर, फोटोकोपी नकल पत्र क्रमांक 2465 दिनांक 1.11.2001 तहसीलदार गंगापुर सिटी, फोटोकोपी नकल निर्णय दिनांक 13.5.71 तहसीलदार गंगापुर सिटी, फोटोकोपी निर्णय दिनांक 3.10.80 न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि अविभाजित है। यह भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के बुजुर्ग मूल्या व बुद्धा की खातेदारी की भूमि रही है जिसमें दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा रहा है एवं उसी अनुसार मौके पर पक्षकारान काबिज काश्त हैं परन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान अप्रार्थीगण के खाते में भूमि अधिक दर्ज कर दी गई जबकि दोनों पक्षों के समान भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। भूमि अप्रार्थीगण के ज्यादा दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः भूमि ख0नं0 107 रकबा 98 एयर, ख0नं0 109 रकबा 81 एयर, ख0नं0 294 रकबा 43 एयर, ख0नं0 1008 रकबा 53 एयर, ख0नं0 1027 रकबा 5 एयर मिन्जुमला, ख0नं0 1028 रकबा 38 एयर, ख0नं0 1029 रकबा 44 एयर, ख0 नं0 [illegible] रकबा 77 एयर, ख0नं0 1035 रकबा 72 एयर, ख0नं0 1036 रकबा [illegible] एयर, ख0नं0 1041 रकबा 36 एयर, ख0नं0 1057 रकबा 19 एयर, ख0नं0 [illegible] रकबा 66 एयर कुल किता 13 रकबा 6.54 है0 व ख0नं0 1008/1519 रकबा 25 एयर ग्राम विदरखा में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत न करने एवं भूमि की मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब व काउन्टर टी0आई0 के अनुसार बहस करते हुए कहा कि पक्षकारों के मध्य सन् 1980 से पूर्व ही [illegible] भूमि का विभाजन हो गया था। ख0नं0 85 रकबा 7 बीघा 3 विस्वा मिन्जुमला में से 2 बीघा भूमि जरिए बदलपत्र अप्रार्थीगण के पिता मूल्या के नाम दर्ज हुई है जिसका ख0नं0 294 रकबा 47 एयर कायम हुआ है। इस भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बुजुर्गो की सहखातेदारी भूमि एकीकरण पूर्व ख0नं0 626 रकबा 17 विस्वा थी जिसके एकीकरण में [illegible] भूमि ख0नं0 625 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा एवं 626 रकबा 17

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हिस्सा को मिलाकर एकीकरण ख0नं0 238 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा कायम किया जिसके वर्तमान ख0नं0 1063/1521 रकबा 52 एयर कायम किए गए थे। एकीकरण ख0नं0 230 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि रही है जिसे एकीकरण में गलत रूप से चरागाह दर्ज कर दिया गया। ख0नं0 238 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का 21 एयर रकबा शामिल है जिस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है। ख0नं0 1063/1521 भू–प्रबन्ध विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया है परन्तु प्रार्थीगण ने इस नम्बर की दुरूस्ती का दावा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि उनकी नियत खराब है और वे कब्जे के आधार पर उसे आवंटित कराना चाहते हैं तथा इसकी एवज में अप्रार्थीगण से गलत तरीके से भूमि लेना चाहते हैं। भूमि ख0नं0 1008/1519 साबिक ख0नं0 231 का ही हिस्सा है। इन सब की जानकारी अप्रार्थीगण को शुरू से ही रही है परन्तु उन्होंने लम्बे समय लगभग 40 वर्ष से इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की और अब अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह मुकदमा प्रस्तुत किया है। मौके पर जिन भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते हैं उन पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होकर अप्रार्थीगण का कब्जा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जाकर उन्हें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 1008, 1027, 1028, 1029, 1033, 1035, 1036, 1041, 1057, 1059, 107, 109, 294, 1008/1518 स्थित ग्राम विदरखा में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निर्णित करने के लिए तीन बिन्दुओं 1. प्रथम दृष्टा मामला 2. सुविधा संतुलन 3. अपूर्णनीय क्षति को देखना आवश्यक है।

प्रार्थीगण भूमि ख0नं0 107 रकबा 98 एयर, ख0नं0 109 रकबा 81 एयर, ख0नं0 294 रकबा 43 एयर, ख0नं0 1008 रकबा 53 एयर, ख0नं0 1027 रकबा 5 एयर गै0मु0चाह, ख0नं0 1028 रकबा 38 एयर, ख0नं0 1029 रकबा 44 एयर, ख0 नं0 1033 रकबा 77 एयर, ख0नं0 1035 रकबा 72 एयर, ख0नं0 1036 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1041 रकबा 36 एयर, ख0नं0 1057 रकबा 19 एयर, ख0नं0 1059 रकबा 66 एयर कुल किता 13 रकबा 6.54 है0 व ख0नं0 1008/1519 रकबा 26 एयर ग्राम विदरखा में 1/2 हिस्से पर अपना अधिकार बताकर इन नम्बरों के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते हैं। इसके लिए प्रार्थीगण का कथन है कि उपरोक्त भूमि पूर्व

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

में संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण के कथन को अभिलेख से परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि नकल जमाबंदी सं0 [illegible] के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज मूल्या व [illegible] की संयुक्त खातेदारी में भूमि 49 बीघा 8 विस्वा स्थित रही है। भू–प्रबन्ध सं0 [illegible] में इसमें 5.76 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम व 6.54 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई भूमि में अपना 1/2 हिस्सा बताते हैं। इसका साधारण सा यह अर्थ हुआ कि उनके खाते में दर्ज 5.76 है0 भूमि तो उनकी है ही इसके अलावा अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज 6.54 है0 भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात [illegible] है0 भूमि प्रार्थीगण को और चाहिए । इस प्रकार प्रार्थीगण कुल 9.03 है0 भूमि पर अपना अधिकार जता रहे हैं जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है क्योंकि एक ओर तो वे भूमि को अविभाजित बताते हैं दूसरी ओर वे भू–प्रबन्ध सं0 [illegible] में उनके नाम दर्ज भूमि को अपनी बताते हुए अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा और मांग रहे हैं। प्रार्थीगण की इस मांग से यह स्पष्ट होता है कि वे जरूरत से ज्यादा हिस्सा चाह रहे हैं जो उन्हें दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि ख0नं0 107 रकबा 98 एयर, ख0नं0 109 रकबा [illegible] एयर, ख0नं0 294 रकबा 43 एयर, ख0नं0 1008 रकबा 53 एयर, ख0नं0 [illegible] रकबा 5 एयर गै0मु0चाह, ख0नं0 1028 रकबा 38 एयर, ख0नं0 [illegible] रकबा 44 एयर, ख0 नं0 1033 रकबा 77 एयर, ख0नं0 1035 रकबा 72 एयर, ख0नं0 1036 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1041 रकबा 36 एयर, ख0नं0 [illegible] रकबा 19 एयर, ख0नं0 1059 रकबा 66 एयर कुल किता 13 रकबा 6. [illegible] ख0नं0 1008/1519 रकबा 26 एयर ग्राम विदरखा को अविभाजित बताया है परन्तु भूमि अविभाजित है इसका कोई अभिलेखीय प्रमाण प्रार्थीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत पत्रावली पर जो नकल जमाबंदी उपलब्ध है उसमें भू–प्रबन्ध के दौरान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य अलग अलग नम्बरों की भूमि खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। इस अंकन को [illegible] वर्षों से ज्यादा का समय हो चुका है एवं इतने लम्बे समय के दौरान प्रार्थीगण का कोई कार्यवाही नहीं करना अपने आप में एक प्रश्न है। प्रार्थीगण का यह कहना कि उन्हें पूर्व में इसकी जानकारी नहीं थी, मानने योग्य नहीं क्योंकि इस अवधि में प्रार्थीगण ने उनके नाम दर्ज भूमि को बैंक में रहन रखकर ऋण भी प्राप्त किया है। जहां तक पूर्व अभिलेख के आधार पर भूमि [illegible] में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करने का प्रश्न है, इसका

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

में संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण के कथन को अभिलेख से परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि नकल जमाबंदी सं0 [illegible] के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज मूल्या व [illegible] की संयुक्त खातेदारी में भूमि 49 बीघा 8 विस्वा स्थित रही है। भू–प्रबन्ध सं0 [illegible] में इसमें 5.76 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम व 6.54 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई भूमि में अपना 1/2 हिस्सा बताते हैं। इसका साधारण सा यह अर्थ हुआ कि उनके खाते में दर्ज 5.76 है0 भूमि तो उनकी है ही इसके अलावा अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज 6.54 है0 भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात 3.27 है0 भूमि प्रार्थीगण को और चाहिए । इस प्रकार प्रार्थीगण कुल 9.03 है0 भूमि पर अपना अधिकार जता रहे हैं जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है क्योंकि एक ओर तो वे भूमि को अविभाजित बताते हैं दूसरी ओर वे भू–प्रबन्ध सं0 [illegible] में उनके नाम दर्ज भूमि को अपनी बताते हुए अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा और मांग रहे हैं। प्रार्थीगण की इस मांग से यह स्पष्ट होता है कि वे जरूरत से ज्यादा हिस्सा चाह रहे हैं जो उन्हें दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि ख0नं0 107 रकबा 98 एयर, ख0नं0 109 रकबा [illegible] एयर, ख0नं0 294 रकबा 43 एयर, ख0नं0 1008 रकबा 53 एयर, ख0नं0 1027 रकबा 5 एयर गै0मु0चाह, ख0नं0 1028 रकबा 38 एयर, ख0नं0 [illegible] रकबा 44 एयर, ख0 नं0 1033 रकबा 77 एयर, ख0नं0 1035 रकबा 72 एयर, ख0नं0 1036 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1041 रकबा 36 एयर, ख0नं0 [illegible] रकबा 19 एयर, ख0नं0 1059 रकबा 66 एयर कुल किता 13 रकबा 6.[illegible] है0 व ख0नं0 1008/1519 रकबा 26 एयर ग्राम विदरखा को अविभाजित बताया है परन्तु भूमि अविभाजित है इसका कोई अभिलेखीय प्रमाण प्रार्थीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत पत्रावली पर जो नकल जमाबंदी उपलब्ध है उसमें भू–प्रबन्ध के दौरान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य अलग अलग नम्बरों की भूमि खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। इस अंकन को [illegible] वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है एवं इतने लम्बे समय के दौरान प्रार्थीगण का कोई कार्यवाही नहीं करना अपने आप में एक प्रश्न है। प्रार्थीगण का यह कहना कि उन्हें पूर्व में इसकी जानकारी नहीं थी, मानने योग्य नहीं क्योंकि इस अवधि में प्रार्थीगण ने उनके नाम दर्ज भूमि को बैंक में रहन रखकर ऋण भी प्राप्त किया है। जहां तक पूर्व अभिलेख के आधार पर भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करने का प्रश्न है, इसका

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

निर्णय मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य व सबूतों के आधार पर होना है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में केवल भूमि की वर्तमान अभिलेख की स्थिति एवं कब्जे की स्थिति देखनी है। अभिलेख में वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम नहीं होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में भी प्रार्थीगण ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण के कह देने मात्र से वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा नहीं माना जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो खातेदारी भूमि पर खातेदार का ही कब्जा माना जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण भूमि पर अपना कब्जा प्रमाणित नहीं कर पाए हैं इसलिए अभिलेख के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इसी प्रकार जब उपरोक्त दोनों बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में जाते हैं तो निश्चित ही अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में ही जाता है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है । साथ ही अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा ख0नं0 107 रकबा [illegible] एयर, ख0नं0 109 रकबा 81 एयर, ख0नं0 294 रकबा 43 एयर, ख0नं0 [illegible] रकबा 53 एयर, ख0नं0 1027 रकबा 5 एयर गै0मु0चाह, ख0नं0 1028 रकबा [illegible] एयर, ख0नं0 1029 रकबा 44 एयर, ख0 नं0 1033 रकबा 77 एयर, ख0नं0 [illegible] रकबा 72 एयर, ख0नं0 1036 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1041 रकबा [illegible] एयर, ख0नं0 1057 रकबा 19 एयर, ख0नं0 1059 रकबा 66 एयर कुल किता 13 रकबा 6.54 है0 व ख0नं0 1008/1519 रकबा 26 एयर ग्राम [illegible] के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है एवं उपरोक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की मजाहमत न स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 15-7-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी